आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/11/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 138/11** **संतलाल मांझी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1034/आपूर्ति दिनांक 19.11.11 के विरूद्व दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 21756/2013 में पारित आदेश दिनांक 15.9.14 से संबधित दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला दंडाधिकारी, सारण छपरा के पत्रांक 2375/सी0 दिनांक 8.11.11 के द्वारा दिनांक 25.10.11 को पंचायतवार जॉच दल के द्वारा कराए गए जॉच प्रतिवेदन संलग्न कर भेजते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी को निदेश किया गया कि संबंधित विक्रेता से कारणपृच्छा करते हुए उनके विरूद्व आवश्यक कार्रवाई की जाए। अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 914 आपूर्ति दिनांक 11.11.11 के द्वारा संतलाल मांझी, जन वितरण प्रणाली विकेता नाथा छपरा वार्ड 14, प्रखंड दरियापुर अनुज्ञप्ति सं0 11/85 से कारणपृच्छा किया गया एवं जॉच की तिथि को उनकी दुकान बंद रहने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। जन वितरण प्रणाली विकेता संतलाल मांझी के द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से उन्हें ईलाज हेतु डॉ0 के यहॉ दिनांक 25.10.11 को जाना पड़ गया था, जिस कारण से जॉच की तिथि को उनकी दुकान बंद पायी गयी थी। अपने जवाब के साथ उनके द्वारा चिकित्सीय कागजात भी संलग्न किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा, विकेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को	

अस्वीकृत करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गयी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी ठंड एवं सर्दी से कुछ दिनों से ग्रस्त था एवं दिनांक 25.10.11 को उसकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गयी, जिस कारण से ईलाज हेतु उसे चिकित्सक के यहॉ जाना पड़ा। इस तरह जॉच की तिथि को जॉच दल के द्वारा उसकी दुकान बंद पायी गयी। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। दुकान निरीक्षण तिथि को बंद पाया गया, लेकिन अपीलकर्त्ता द्वारा बताया गया कि ठंड एवं सर्दी की वजह से अचानक ज्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें ईलाज के लिए डॉक्टर के यहॉ जाना पड़ा, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय प्रमाण पत्र से होती है। अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अपने आप में एक चमांपदह वतकमत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ। अतः प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुए अपील स्वीकृत की जाती है एवं अपीलकर्त्ता को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अपनी दुकान को नियमित खोलना सुनिश्चित करे। साथ ही किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति के उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को सूचित करना एवं उनसे अनुमति प्राप्त करना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

(हस्ताक्षर)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1038 दिनांक 17/12/14

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ⇒ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
17/12/14